पत्रांक–01–(स्था०)–सू०प्रा०–68 / 2023........930

बिहार सरकार

सूचना प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

अंजन कुमार गुप्ता,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर महाधिवक्ता–सह–कार्यालय प्रभारी, महाधिवक्ता का कार्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 05.06.2024

विषयः– **बेल्ट्रॉन के द्वारा "सेवा प्रदाता" के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी०ब्यॉय/गर्ल को अर्जित अवकाश, पितृत्व अवकाश, अवैतनकि अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश के संबंध में।**

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा "सेवा प्रदाता" के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी०ब्यॉय/गर्ल को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि० (बेल्ट्रॉन) के निदेशक पर्षद की 155/14वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निगम के कार्यालय आदेश संख्या–MP-117/24 दिनांक 15.02.2024 के द्वारा निम्नांकित अवकाश उपभोग की स्वीकृति जनवरी, 2024 के प्रभाव से प्रदान की गई है:–

1. **अर्जित अवकाश** :– एक वर्ष में 16 (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है (सेवा समाप्ति के बाद कोई भी वित्तीय लाभ देय नहीं होगा)।
2. **पितृत्व अवकाश** :– 15 दिन (दो बच्चों तक)।
3. **अवैतनिक अवकाश** :– 30 दिन।
4. **चिकित्सा अवकाश** :– अस्पताल में भर्त्ती होने पर वर्ष में अधिकतम 15 दिन (अर्धवेतन के साथ)।

साथ ही निदेशक पर्षद द्वारा अवकाश के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण निर्देश निम्नांकित रूप से दिए गए हैं:–

(i) उपर्युक्त अवकाश की स्वीकृति अधिशासी विभाग/कार्यालय/संस्थानों के प्रमुख/नोडल पदाधिकारी के द्वारा प्रदान की जाएगी।

(ii) अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनाधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

(iii) जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जायेंगे, उनके पद को रिक्त घोषित किया जाएगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी।

क्रमशः..............2/–

Jobs Wale Bhaiya

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि० (बेल्ट्रॉन) के द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या–MP-117/24 दिनांक 15.02.2024 के संबंध में कतिपय विभागों/कार्यालयों से उक्त आदेश को सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा सम्पुष्ट किये जाने एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि० (बेल्ट्रॉन) के कार्यालय आदेश संख्या–MP-117/24 दिनांक 15.02.2024 (प्रति संलग्न) को सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों को संसूचित किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि आपके अपने विभाग/अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अंजन कुमार गुप्ता)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 01–(स्था०)–सू०प्रा०–68/2023 930 पटना, दिनांक 05.06.2024
प्रतिलिपि: श्री सिद्धार्थ कुमार, आई०टी० प्रबंधक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

5/6/24
सरकार के अवर सचिव

Jobs Wale Bhaiya

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड

CIN-U31900BR1978SGC001317

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पत्रांक.....................

दिनांक.....................

कार्यालय आदेश

निदेशक पर्षद की 155/14वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में "सेवा प्रदाता" के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी०ब्वॉय/गर्ल को निम्नलिखित अवकाश उपभोग की स्वीकृति जनवरी–2024 के प्रभाव से प्रदान की जाती है:–

(1) **अर्जित अवकाश:–** एक वर्ष में 16 (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है (सेवा समाप्ति के बाद कोई भी वित्तीय लाभ देय नहीं होगा)।

(2) **पितृत्व अवकाश:–** 15 दिन (दो बच्चों तक)।

(3) **अवैतनिक अवकाश:–** 30 दिन।

(4) **चिकित्सा अवकाश:–** अस्पताल में भर्ती होने पर वर्ष में अधिकतम 15 दिन (अर्धवेतन के साथ)।

साथ ही निदेशक पर्षद द्वारा अवकाश के संबंध में अन्य निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए:–

(1) उपर्युक्त अवकाश की स्वीकृति अधिशासी विभाग/कार्यालय/संस्थानों के प्रमुख/नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

(2) अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनाधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

(3) जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जायेंगे, उनके पद को रिक्त घोषित किया जाएगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी।

ह०/–
(अभय कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक:– MP-117/24 पटना, दिनांक:– 15-2-24

प्रतिलिपि:– सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, बिहार, पटना/अनुमंडलाधिकारी/सभी कोषागार/उपकोषागार को सूचनार्थ प्रेषित।

15/2
प्रबन्ध निदेशक

बेलट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना–800023
दूरभाष : 0612-2281242, फैक्स : 0612-2281857, वेबसाइट : https://bsedc.bihar.gov.in, ई-मेल : mdbeltron@bihar.gov.in

Jobs Wale Bhaiya
Scanned with OKEN Scanner